530

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष: एम0गोपाल रेड्डी,

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्र0क्र0 671-तीन/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-12-15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण क्रमांक 430/अपील/2012-13.

जगदीशचन्द्र पिता रामनारायण जी चौधरी
जाति - पाटीदार, निवासी - एम.आई.जी. 40
इन्दिरा नगर, नीमच म.प्र. ------ आवेदक

विरूद्ध

1. रतनलाल पिता रामनारायण जी चौधरी,
   जाति - पाटीदार, निवासी - नारायणगढ
   तह. मल्हारगढ जिला मंदसौर म.प्र.
2. मांगीबाई पति राधेश्याम जी पाटीदार,
   निवासी - पिल्लू तहसील व जिला प्रतापगढ राजस्थान
3. कंचनबाई पति शिवलाल जी पाटीदार,
   निवासी - नारायणगढ तह. मल्हारगढ
   जिला मंदसौर म.प्र.
4. लीलाबाई पति अनोखीलाल जी पाटीदार,
   निवासी - नारायणगढ तह. मल्हारगढ
   जिला मंदसौर म.प्र. ------ अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी ।
अनावेदकगण एकपक्षीय ।

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19|12|2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक

क्रमांक 430/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक तथा अनावेदक क्र. 1 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर ग्राम चौथखेड़ा की भूमि सर्वे क्र. 400 पेकी रकवा 4.40 हे. भूमि भूमिस्वामी धापूबाई की मृत्यु होने से नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त नामांतरण में अनावेदकों द्वारा पारिवारिक बंटवारे के अनुसार आवेदक के पक्ष में नामांतरण किये जाने में सहमति दी गई, जिसके आधार पर तहसीलदार नीमच ने अपने आदेश दिनांक 05.03.2012 द्वारा आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरुद्ध केवल अनावेदक क्र. 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 23.02.2013 द्वारा स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की गई जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तर्कों एवं लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि तहसीलदार नीमच के समक्ष विपक्षी रतनलाल व अन्य के द्वारा सहमति पत्र दिया था और तहसीलदार ने सहमति के आधार पर आवेदक का नामांतरण दिनांक 5.3.12 को स्वीकार किया था जिसके विरुद्ध अनावेदक रतनलाल को किसी प्रकार की अपील करने का अधिकार नहीं था फिर भी अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा करते हुए अपील को सुनवाई योग्य मानकर आदेश पारित किया है, जो निरस्ती योग्य है।

यह भी तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी नीमच ने विपक्षी रतनलाल के द्वारा सहमति पत्र लिखकर नोटरी से दिनांक 04.01.2012 धापूबाई का दिनांक 03.12.2011 को स्वर्गवास हो गया है एवं ग्राम चौथखेड़ा की भूमि सर्वे क्र. 400 पेकी रकवा 4.40 हे. द्वितीय पक्ष के हक व हिस्से में आई है तथा प्रार्थी उक्त भूमि को राजस्व विभाग से अपने नाम पर

नामांतरण करवा लेवे। इसमें प्रथम पक्ष अथवा विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं होकर उनकी पूर्ण सहमति है तथा प्रथम पक्ष क्र. 1 रामनारायण प्रार्थी व विपक्षीगण के पिता है और विपक्षी रामनारायण ने पारिवारिक व्यवस्था अनुसार बंटवारा कर दिया है और प्रथम पक्ष क्र. 3 लगायत 5 विवाहित होकर अपने-अपने पति के साथ गांव में निवास कर रही हैं और उनका स्वत्व अपने पतियों की संपत्ति में होने से पिताजी व माताजी की संपत्ति में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं तथा धापूबाई के स्वत्व की भूमि द्वितीय पक्ष भाई जगदीशचन्द्र के नाम से नामांतरण राजस्व विभाग में किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होकर सहमति है तथा भविष्य में हिस्सा लेने की कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तथा उक्त सहमति प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हित में भूमि के नामांतरण करवाने हेतु निष्पादित कर दिया है और उसके पश्चात दिनांक 08.02.2012 को विपक्षीगण ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर अपनी सहमति दी और प्रोसिडिंग पर हस्ताक्षर किये तथा दिनांक 03.02.2012 को लिखित में आवेदन-पत्र भी प्रस्तुत किया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि एक बार लिखित में देने के पश्चात मौखिक की बात स्वीकार योग्य नहीं है और विपक्षीगण लिखित के विरुद्ध कथन देने में विबंधित है और उसके विरुद्ध कथन नही दे सकता है फिर भी अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी ने इस सब स्वीकृतियों के होने के बावजूद भी अपील स्वीकार करने में गंभीर त्रुटि की है और अधीनस्थ न्यायालय ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखने में त्रुटि की है। जो दोनों आदेश निरस्त होने योग्य होने से निरस्त किये जाकर अधीनस्थ तहसीलदार नीमच के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.12 को स्थिर रखा जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि रामनारायण का दिनांक 27-.06.15 को स्वर्गवास हो गया है और उनके स्वर्गवास के पश्चात ग्राम जान्याखेड़ी स्थित भूमि सर्वे नंबर 121/1 रकवा 1.14, भूमि सर्वे नंबर 124 रकवा 0.91 आरी एवं सर्वे नंबर 125 रकवा 1.80 हे. पर नामांतरण पंजी क्र. 8/14-15 से दिनांक 05.06.15 को विपक्षी क्र. 1 रतनलाल का नामांतरण हो गया है और नामांतरण पंजी/बंटवारा पर जगदीश व रतनलाल के बंटवारा स्वीकृति के हस्ताक्षर हैं और इसी प्रकार से नारायणगढ़ में स्थित भूमि सर्वे नंबर 1060 रकवा 2.590 हे. एवं सर्वे नंबर 1061/1 रकवा 0.060 हे. भूमि पर

नामांतरण पंजी क्र. 84/14-15 से दिनांक 05.06.15 को विपक्षी क्र. 1 रतनलाल का नामांतरण हो गया है। और नामांतरण पंजी/बंटवारा पर जगदीश व रतनलाल के बंटवारा स्वीकृति के हस्ताक्षर हैं जिससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी रतनलाल के द्वारा पूर्व में हुए पारिवारिक बंटवारे के अनुसार रतनलाल के हिस्से में आई भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में अपना नामांतरण करवा लिया है, जिससे प्रार्थी ने बतौर स्वीकृति के हस्ताक्षर कर दिए हैं और राजस्व अभिलेखों में भी ग्राम जान्याखेड़ी व नारायणगढ़ की भूमि पर विपक्षी रतनलाल का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया है। इसलिए अपीलांट के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नीमच के समक्ष अपील में उठाए गए आधार समाप्त हो गए हैं इसलिए पूर्व में हुए पारिवारिक बंटवारे के अनुसार तहसीलदार नीमच के द्वारा दिनांक 05.03.12 को जो नामांतरण आदेश पारित कर प्रार्थी जगदीश का नामांतरण स्वीकार किया है उसे स्थिर रखा जाकर अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी नीमच व अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेशों को निरस्त किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि रतनलाल के द्वारा जो अनुविभागीय अधिकारी नीमच के समक्ष जो अपील में बिन्दु उठाए हैं उस पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित नहीं किया है बल्कि अपनी मनमर्जी से जो बिंदु अपील में उठाए ही नहीं गए थे उन पर आदेश पारित करते हुए तहसीलदार नीमच के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने में गंभीर त्रुटि की है और अधीनस्थ तहसील न्यायालय के द्वारा किसी भी न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रार्थी जगदीश व विपक्षी रतनलाल के द्वारा पूर्व में हुए पारिवारिक बंटवारे के अनुसार अपने-अपने हिस्से में आई भूमि पर काबिज हैं और विपक्षी रतनलाल का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो चुका है और उसके द्वारा पूर्व में हुआ बंटवारा स्वीकार कर लिया है इसलिए ग्राम चौथखेड़ा की भूमि सर्वे क्र. 400 पेकी रकवा 4.40 हे. पर अधीनस्थ तहसीलदार नीमच के आदेश दिनांक 05.13.2012 को स्थिर रखा जाकर अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी व अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने के आदेश दिया जाना न्यायोचित है। उक्त आधारों पर उनके

द्वारा निगरानी स्वीकार करने तथा दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदकगण पूर्व से एकपक्षीय हैं।

5/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभयपक्ष आपस में सगे भाई-बहिन हैं तथा प्रश्नाधीन भूमि की भूमिस्वामी उनकी मां धापूबाई पति श्री रामनारायण चौधरी थी। धापूबाई की मृत्यु होने पर आवेदक जगदीशचन्द्र एवं अनावेदक क्र. 1 रतनलाल द्वारा वारिसाना आधार पर पृथक-पृथक नामांतरण आवेदन पेश किए गए । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई एवं पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्रकरण में कार्यवाही के दौरान अनावेदकों द्वारा तहसीलदार के समक्ष दिनांक 08.02.12 को उपस्थित होकर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामांतरण किए जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। उक्त सहमति का उल्लेख पटवारी द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत प्रतिवेदन में 'करते हुए आवेदक जगदीशचन्द्र का नामांतरण किया जाना प्रतिवेदित किया गया। तदुपरांत तहसीलदार ने अनावेदकों की सहमति एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया गया है। उक्त आदेश से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित नामांतरण आदेश सहमति के आधार पर किया गया है जिसमें कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि नहीं है। सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। इस संबंध में 2014 आर0एन0 220 गुड्डीबाई तथा अन्य विरुद्ध बलवीर तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

> " धारा 44 तथा 178 अपील चलाने योग्य होना। सहमति से विभाजन का आदेश ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।"

इसी प्रकार न्याय दृष्टांत 2007 आर0एन0 369 लालाराम विरुद्ध नारायण तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि :-

> " धारा 44 तथा 178 विभाजन का आदेश दोनों पक्षकारों की सहमति से पारित किया गया है ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी।"

इसी आशय का न्याय सिद्धांत 2016 आर0एन0 182 दीपचंद तथा अन्य विरुद्ध कट्टोबाई तथा अन्य में प्रतिपादित किया गया है ।

न्यायदृष्टांत 1996 आर0एन0 33 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि :-

" कौटुम्बिक व्यवस्था (Family settlement) परिवार में पूर्वजों की संपत्ति कृषि खाते का पक्षकारों के बीच अर्से से स्वतंत्र आपसी विभाजन हुआ और अलग-अलग खेती करने लगे वे अपने-अपने हिस्से में खेती करते आ रहे हैं। इस कौटुम्बिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था (Family settlement) को उस परिवार व्यवस्था के एक सदस्य के कहने पर भंग नहीं किया जा सकता ।"

इसी प्रकार न्याय दृष्टांत 1989 आर0एन0 14 दयाराम विरुद्ध हरचंद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि :-

" पारस्परिक विभाजन सद्भाव पर आधारित होता है, जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। "

प्रकरण के तथ्यों एवं उपरोक्त न्यायदृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए यह पाया जाता है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारिवारिक बंटवारे के अनुसार अनावेदक क्र. 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत सहमति के आधार पर आदेश पारित किया गया था, इस कारण अनावेदक क्र. 1 रतनलाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य नहीं थी। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं उपरोक्त न्यायदृष्टांतों को अनदेखा करते हुए तथा अनावेदक क्र. द्वारा अपील में उठाए गए बिंदुओं पर आदेश पारित न करते हुए अन्य आधारों पर आदेश पारित किया जाकर तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त किया गया है जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। इस कारण अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा भी उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है। इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त के न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदकों एवं अनावेदकों द्वारा उनके समक्ष भी आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के तहत सभी पक्षकारों के छायाचित्र/हस्ताक्षरयुक्त समझौता आवेदन पेश किया गया है। उक्त समझौता आवेदन अनावेदक क्र. 1 द्वारा व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत किए गए व्यवहार वाद में प्रस्तुत किए गए समझौता आवेदन के तारतम्य में प्रस्तुत किया गया है, परंतु अपर आयुक्त द्वारा उक्त समझौता आवेदन के अनुसार प्रकरण का निराकरण ना करते हुए

अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश को स्थिर रखा गया है जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्र. 430/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 30.12.15 एवं अनुविभागीय अधिकारी नीमच द्वारा प्रकरण क्र. 34/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 23.02.13 निरस्त किए जाते हैं एवं तहसीलदार, नीमच द्वारा प्रकरण क्र. 40/अ-6/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 05.03.2012 स्थिर रखा जाता है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर